

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक / ● / और प्रक्रो ० / २०१६ / ३४।  
प्रति,

समस्त,  
मुख्य चिकित्सा एवं रवास्थ्य अधिकारी,  
रिहिल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीकारक,  
म०प्र० ।

भोपाल, दिनांक २५/०७/२०१६

विषय:- आब्जेक्ट हेड एवं डिटेल्ड हेड सामग्री एवं पूर्तियों अन्य (३४-००९) मद के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन एवं उसके उपयोग बाबत।

०००००

विषयांतर्गत इस पत्र से संलग्न विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आब्जेक्ट हेड एवं डिटेल्ड हेड सामग्री एवं पूर्तियों अन्य (३४-००९) मद में आपको उपलब्ध राशि की जानकारी अद्यतन रिस्ति में दी जा रही है। नियमानुसार परीक्षण उपरांत अस्पताल संचालन हेतु सामग्री एवं पूर्तियों अन्य के व्यय संबंधी कार्यवाही आपके स्तर पर की जानी है। आपकी सुविधा हेतु विभिन्न योजनाओं में ३४-००९ मद में उपलब्ध राशि की जानकारी दी जा रही है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि चादर संबंधी व्यय भी इसी शीर्ष से किया जाना है। यह व्यय नियमानुसार परीक्षण उपरांत भण्डार क्रय नियमों के अक्षरशः पालन एवं वित्तीय अधिकारी के प्रकाश में जिला चिकित्सालय हेतु योजना क्रमांक १४७३, ८१५० एवं ८७९८ से एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हेतु योजना क्रमांक २७७७, ८१५०, ७३१७, ५९८९ एवं ९८१२ में उपलब्ध बजट के अंतर्गत किया जाना है। अन्य योजनाएँ जौसे ६१०५, ४२४५ से चादर संबंधी व्यय नहीं किया जाना है।

म०प्र० भण्डार क्रय नियम २६.२ (छायाप्रति संलग्न) अनुसार आयुक्त/संचालक, हाथकरदा एवं हस्तशिल्प एवं प्रदेश संचालक, म०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय, भोपाल को ८५ प्रतिशत अग्रिम राशि के साथ आदेश ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से भेजा जायेगा। अतः सूचनार्थ एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु।

(डॉ. पंकज जैन)

अपर संचालक (उपार्जन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

भोपाल, दिनांक २५/०७/२०१६

पृ. क. / ● / और प्रक्रो ० / २०१६ / ३४।

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ।

- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक रवास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
- स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- संचालक, अस्पताल प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल म०प्र०।
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
- प्रभारी, एम.आई.एस., वेबसाइट पर अपलोड करें।

अपर संचालक (उपार्जन)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश